नियम 23 : दस्तावेजों का अनुवाद

(1) अपील अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवही में उपयोग किए जाने के लिए आशयित अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई दस्तावेज रजिस्ट्री द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित प्रतिलिपि के साथ प्राप्त किया जाएगा, जिस पर दोनों पक्षकारों द्वारा सहमती हो या मामले में पक्षकारों की ओर से नियुक्त प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्य अनुवादित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किय गया हो।

(2) अपील या अन्य कार्यवाही तब तक सुनवाई के लिए निर्धारित नहीं की जाएगी जब तक की सभी पक्षकार यह पुष्टि नहीं कर देते कि फाईल किए गए सभी दस्तावेज, जिन पर वे निर्भर करना चाहते है, अंग्रेजी में हैं या उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और अपेक्षित संख्या में प्रतियां अपील अधिकरण के पास फाईल कर दी गई हैं।